

वशिषाधिकार उल्लंघन नोटसि

<u>स्रोत: द हिंदू</u>

मुख्य विपक्षी दल ने पूर्व <u>उपराष्ट्रपत</u>ि और <u>राज्यसभा</u> के सभापति के खिलाफ "अपमानजनक" टिप्पणी करने के लिये <u>प्रधानमंत्री</u> के खिलाफ <mark>वशिषाधिकार हनन</mark> का नोटिस प्रसुतुत किया।

वशिषाधिकार का उल्लंघन क्या है?

- परचिय:
 - जब कोई व्यक्ति या अधिकारी किसी सदस्य के विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्ति का उल्लंघन करता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सदन की सामृहिक कषमता में, तो उस अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है तथा सदन द्वारा दंडनीय होता है।
 - ॰ इसके अतरिक्ति, **सदन के प्राधिकार या गरिमा का अनादर करने वाली कोई <mark>भी कार्रवाई</mark> , जैसे उसके आदेशों</mark> की अनदेखी करना या उसके सदस्यों, समितियों या अधिकारियों का अपमान करना, विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है।**
- सदन की अवमानना बनाम औचित्य के मुददे:
 - ॰ **सदन की अवमानना:** इसे सामान्यतः ऐसे किसी भी कार्य के रूप में पर<mark>िभाषित किया</mark> जात<mark>ा है जो संसद</mark> के किसी भी सदस्य या सदन को उसके कर्त्तव्य और कार्यों के निर्वहन में बाधा डालता है।
 - ॰ **औचित्य के बिदु:** संसद और उसके सदस्यों को विशिष्ट प्रथाओं त<mark>था</mark> परंपरा<mark>ओं</mark> का पालन करना चाहिये एवंइनका **उल्लंघन करना** '**अनुचित'** माना जाता है।
- संसद की दण्ड देने की शक्ति:
 - ॰ संसद का प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों का संरक्षक है।
 - भारत में न्यायालयों ने माना है कि संसद का सदन (या राज्य विधानमंडल) किसी विशेष मामले में सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निर्णय करने का एकमात्र प्राधिकारी है।
 - सदन विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को फटकार या चेतावनी देकर या निरदिषट अवधि के लिये कारावास से दंडित कर सकता है।
 - इसके अलावा सदन अपने सदस्यों को दो अन्य तरीकों से दंडति कर सकता है अर्थात् सेवा से नलिंबन और निष्कासन।
 - हालाँकि **सदस्य द्वारा बिना शर्त माफी मांगने की स्थिति में सदन आमतौर पर अपनी** गरिमा के हित में मामले को आगे बढ़ाने से बचता है।
- कार्यविधि: विशेषाधिकार के प्रश्नों से निपटने की प्रक्रिया राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम, 187 से 203 में निर्धारित की गई है।
 - सदन में विशेषाधिकार का पुरश्न सभापति की सहमति पुरापत करने के बाद ही उठाया जा सकता है।
 - ॰ यह प्रश्न कि क्या **कोई मामला वास्<mark>तव में विशेषाधिकार का उल्लंघन है या सदन की अवमानना</mark> का है, इसका निर्णय पूरी तरह से सदन को करना है।**
- किसी अन्य सदन के सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन:
 - ॰ विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त रिपोर्ट, 1954 की के अनुसार, जब सदन के कार्मिकों से संबंधित विशेषाधिकार हनन का मामला <u>लोकसभा</u> या राज्यसभा में उठाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी मामले को दूसरे सदन के <u>पीठासीन अधिकारी</u> को प्रेषित कर देता है।
 - सदन इसे अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखता है तथा जाँच एवं की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देता है।



संसदीय विशेषाधिकार

संसदीय विशेषाधिकार सांसदों, विधायकों और उनकी समितियों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट हैं।

संवैधानिक प्रावधान_

- अनुच्छेद 105: संसद सदस्यों के लिये
- अनुच्छेद 194: विधानसभा सदस्यों के लिये

यह कर्त्तव्यों के निर्वाह के दौरान दिये गए बयानों या कृत्यों के लिये केवल नागरिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

शक्ति के स्रोत

- 🕥 संवैधानिक प्रावधान
- संसद द्वारा निर्मित विभिन्न कानून
- दोनों सदनों के नियम
- संसदीय अभिसमय
- 🕥 न्यायिक व्याख्याएँ

सदस्यों के निज़ी विशेषाधिकार _

- संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- सांसद/सिमिति को बयानों या मतदान के संबंध में कानूनी कार्यवाही से छुट
- संसद के किसी भी सदन द्वारा रिपोर्ट, दस्तावेज़, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में न्यायायिक कार्यवाही से छूट
- कथित प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण न्यायालय में
 संसदीय कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न करने से रोक
- सदस्यों को सदन या सिमिति की बैठक के दौरान और उसके सत्र से
 40 दिन पहले या बाद में नागिरक मामलों में गिरफ्तारी से छूट

सदन का सामूहिक विशेषाधिकार

- सदन को किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास
 और रिहाई के बारे में त्वरित रूप से सूचित किये जाने का अधिकार है
- अध्यक्ष/सभापति की अनुमित प्राप्त किये बिना सदन के पिरसर के अंदर गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया की सेवा से प्रतिरक्षा
- 🕥 सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण
- रिपोर्ट और कार्यवाही के साथ संसदीय सिमिति को प्रस्तुत किये गए साक्ष्य आधिकारिक तौर पर सदन के पटल पर रखे जाने तक गोपनीय रहने चाहिये
- सदन के सदस्यों/अधिकारियों को सदन की कार्यवाही के संबंध में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने या न्यायालय में गवाही देने के लिये सदन की अनुमित की आवश्यकता होती है

महत्त्वपूर्ण निर्णय

- केरल राज्य बनाम के. अजित मामला (वर्ष 2021)-उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया, कि विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने का माध्यम नहीं हैं, विशेष रूप से आपराधिक कानून के मामले में जो प्रत्येक नागरिक की कार्रवार्ड को नियंत्रित करता है।
- वर्ष 2024 में 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को यह स्पष्ट करते हुए पलट दिया, कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 द्वारा प्रदान किये गए विशेषाधिकार रिश्वत के मामलों तक विस्तारित नहीं है।



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखिति में से कौन-सी संसदीय समिति जाँच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियमों, नियमों, उप-नियमों, उप-विधियों आदि को बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा प्रतिनिधिमिंडल के दायरे में उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। (2018)

- (a) सरकारी आश्वासनों संबंधी समति
- (b) अधीनस्थ वधान संबंधी समिति
- (c) नियम समिति
- (d) कार्य मंत्रणा समति

उत्तर: (b)

[?||?||?||?||:

प्रश्न: संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (इम्यूनिटीज़), जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, अनेकों असंहिताबद्ध (अन कोडिफ़ाइड) और अ-परिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है? (2014)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/breach-of-privilege-notice

